ग्राम पंचायत जाहलमा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

भाग—एक

1 **प्रस्तावना (क):—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जाहलमा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

(i) प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती पलमो देवी	1.4.13 से 31.3.16

(ii) सचिवः—

1	श्री प्रेम लाल	1.4.13 से 25.12.15
2	श्रीमती सौंदी	26.12.15 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत जाहलमा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना	—
2	7	पंचायत राजस्व वसूली शेष	0.16
3	8	अनुदानों का उपयोग न करना	13.77
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	10.77

भाग—दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः—**

ग्राम पंचायत जाहलमा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी

द्वारा दिनांक 3.11.16 से 7.11.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 5/13, 7/14 व 8/15 तथा 10/13, 11/14 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत जाहलमा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2016-197, दिनांक 7.11.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत जाहलमा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत जाहलमा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत जाहलमा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की स्वस्त्रोत व अनुदानों की संकलित वित्तीय स्थिति बैंक खातों से तैयार की गई तक निम्न प्रकार से थीः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	5'95352.51	2008013	29150	2632515.51	1999931.40	632584.11
2014–15	632584.11	4806452.75	26582	5465618.86	4819744.45	645874.41
2015–16	645874.41	5013475	32588	5691937.41	3609973.98	2081963.43

ग्राम पंचायत जाहलमा के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2** में दिया गया है तथा रोकड़ बहियों के अनुसार स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–3 (क) से 3 (ङ)** में दिया गया है।

4.1 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत जाहलमा की रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष अन्तिम शेष की गणना करना तथा वर्ष के अन्त

में बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण, रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई थी जोकि उक्त नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का मिलान बैंक खातों से करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधानव भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	हस्तगत राशि
1	8.10.15 से 16.12.15	3622
2	17.12.15 से 21.12.15	3463
3	31.1.16 से 4.2.16	1384

6 बजट प्राक्कलन फार्म—11 में तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म—11 के स्थान पर कार्यवाही रजिस्टर में सामान्य तौर पर तैयार किया था। अतः बजट प्राकलनों को नियमानुसार फार्म—11 में तैयार न करने के का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार न करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेषः—

पंचायत राजस्व की स्व स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹16270/— की वसूली शेष थी।

(i) गृहकर (परिशिष्ट–4)

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	7905	7745	15650	13970	1680
2014–15	1680	7745	9425	–	9425
2015–16	9425	7745	17170	900	16270

अतः उपरोक्त पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹13.77 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक प्राप्त अनुदान **(परिशिष्ट–5) के अनुसार** ₹1376964/–उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 दिनांक 31.3.2016 को बैंक खातों में जमा राशियों व अनुदानों की शेष राशियों में ₹7.05 लाख का भारी अन्तरः–

पंचायत के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों व अनुदानों की शेष राशियों का मिलान करने पर ₹704999.43 का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की राशि किस–2 मद/स्त्रोत की है, का पूर्ण विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31.3.16 को **(परिशिष्ट"2")** के अनुसार बैंकों में जमा राशि	₹2081963.43
31.3.16 को **(परिशिष्ट–5)** के अनुसार अनुदानों की शेष राशि	₹1376964.00
अन्तर	₹704999.43

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार करके किया जाना था। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करते समय निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच

हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Grant	Cash Book Page No.	Name of Work	Expenditure ₹
1	IWMP-III	8/10/13	C/O Kuhl, Jahalama Nala to Junda	180000
2	Nucleus	64/9/13	C/O mahila Manadal Bhwan Tibog	165503
3	Hariyali-II (Yangthang)	14/11/14	C/O irrigation kuhl, Nala Ghrat to othang Yand-thang	601575
4	IWMP-III	15/11/14	C/o creatwaal, Junta Nala & Khruti Nala	306875
5	IWMP-III	21/10/15	C/O Kuhl, Junda Nala to Baling	599700

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹10.77 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "6"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1077139 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register Form 20
2	Work Register
3	Cheque issue/Receipt Register
4	Temporary Advance Register
5	stock Register of Consumable articles form 26
6	Stationery Register Form-28
7	Bill Register

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 निष्कर्षः– ग्राम पंचायत जाहलमा की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(8) 10/2016–खण्ड–1–1776–1779 दिनाँकः 23.03.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत जाहलमा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल स्पिति स्थित केलांग, जिला लाहौल–स्पिति, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.